प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 10.11.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 10.11.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे मौजूद रहे।

◆ मिशन शक्ति अभियान-5 के तहत जनपद के समस्त थानों में गठित एण्टी रोमियों टीमों द्वारा क्षेत्र में भ्रमण कर महिलाओं/बालिकाओं को सुरक्षा के प्रति आश्वस्त कर शासन की विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरुक किया गया-

मिशन शक्ति अभियान फेज - **5.0”** व “शक्ति दीदी” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में जनपद महोबा में महिलाओं के सशक्तिकरण, स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 10.11.2024 को जनपद के प्रत्येक थाने में गठित मिशन शक्ति/एण्टीरोमियों पुलिस टीम द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रअन्तर्गत विभिन्न ग्राम, महत्वपूर्ण स्थलों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों में भ्रमण कर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके विरुद्ध हो रहे विभिन्न अपराध जैसे- सार्वजनिक स्थलो में छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं/अपराधओं को रोकने के लिये एवं ऐसे अपराधों के प्रति आवाज उठाने के लिये उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया।

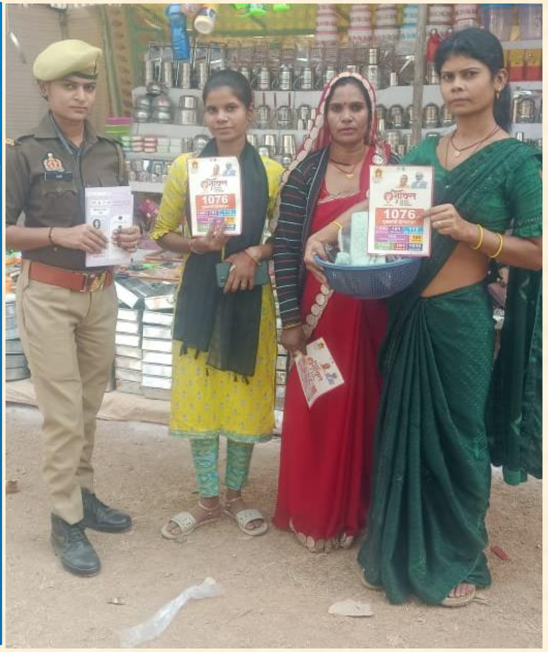

इस दौरान उनकी सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर, वूमेन पावर लाइन 1090, यूपी कॉप एप, महिला हेल्प लाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्प लाइन 1076, चाइल्ड हेल्प लाइन 1098, साइबर हेल्पलाइन 1930 इत्यादि के बारे में जानकारियां प्रदान की गई। इस दौरान सभी को अवगत कराया गया कि सभी थानों में उनकी सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा उनकी शिकायतें सुनी जाती हैं तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 10.11.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

यातायात माह नवंबर के तहत यातायात पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए पंपलेट वितरित किए गए साथ ही गुड सेमेरिटन और गोल्डन ऑवर के विषय में जानकारी प्रदान कर यातायात नियमों की शपथ दिलाई गई-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी रोकथाम के लिए चलाये जा रहे यातायात माह नवंबर के तहत यातायात जागरुकता कार्यक्रमों की श्रृंखला के क्रम में आज दिनांक- 10.11.2024 को प्रभारी यातायात महोबा श्री सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में यातायात पुलिस टीम द्वारा यातायात जागरूकता माह कार्यक्रम के तहत महोबा मुख्यालय नगर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले मोटर साइकिल, कार एवं बैटरी ई-रिक्शा चालकों को रोककर यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया तथा उनके वाहनों में यातायात नियमों के प्रति जागरुकता से सम्बन्धित स्टिकर को चस्पा किया गया साथ ही तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए पंपलेट वितरित किए गए।

इस दौरान यातायात पुलिस टीम द्वारा गुड सेमेरिटन और गोल्डन ऑवर के विषय में जानकारी देते हुए बताया गया कि "गुड सेमेरिटन योजना" के तहत ऐसे नेक व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाता है, जिसने किसी घातक दुर्घटना (मोटर वाहन से जुड़ी) के पीड़ित की जान तत्काल सहायता प्रदान करके तथा दुर्घटना के गोल्डन ऑवर (दुर्घटना के 60 मिनट) के भीतर उसे अस्पताल पहुंचाकर जान बचाई हो।

इसी क्रम में यातायात पुलिस टीम द्वारा यातायात जागरूकता माह कार्यक्रम के तहत मुख्यालय महोबा के प्राइवेट बस स्टैंड पहुंचकर वहां पर मौजूद बस एवं ऑटो चालकों को एकत्रित कर उन्हें यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया जिसमें उनको वाहन चलाते समय किन-किन सावधानियों को ध्यान देना चाहिए जिससे सड़क दुर्घटना रोका जा सके। इन यातायात नियमों के प्रति जागरुक करते हुए सभी वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन किये जाने की शपथ दिलाई गई।

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 10.11.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना श्रीनगर की पुलिस टीम ने जानलेवा हमला करने वाले 04 नफर वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त पत्थर तथा अवैध तमंचा व खोखा कारतूस की बरामदगी की गई है।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलास वंशल के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक- 10.11.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौंड़ के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना श्रीनगर, शिवपाल सिंह के नेतृत्व में गठित हुई पुलिस टीम ने थाना श्रीनगर में पंजीकृत मु0अ0सं0 249/24 धारा 109/351(2)/3(5) **BNS** से सम्बन्धित 04 वांछित अभियुक्तगण क्रमशः 1.भूपेन्द्र साहू पुत्र परमेश्वर दयाल उम्र 28 वर्ष 2.जीतेन्द्र साहू पुत्र प्रेमनारायण साहू उम्र 30 वर्ष 3.रामसेवक पुत्र बारेलाल कुशवाहा उम्र 42 वर्ष 4.देवीदीन कुशवाहा पुत्र धनीराम कुशवाहा उम्र 35 वर्ष समस्त नि0 मोहल्ला भैरोगंज कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा को थाना क्षेत्र के बारेलाल के बक्से की दुकान एवं रामकली यादव के मकान को जाने वाले तिराहे के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त पत्थर व 01 अदद तमंचा मय 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद किया गया बरामद तमंचा व खोखा कार0 के आधार पर मु.अ.सं. 250/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों को नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही के उपरान्त मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है।

बरामदगी- 01 अदद तमन्चा देशी 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर व एक बण्डल सील सर्व मुहर जिसमें एक अदद पत्थर बरामद होना।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक थाना श्रीनगर श्री शिवपाल सिंह
2. व0उ0नि0 कन्हैयालाल यादव 3. उ0नि0 शंकरलाल 4. उ0नि0यूटी शिवांगी गुप्ता
5. का0 विवेक दिवाकर 6. का0 विकास सरोज

गिरफ्तार वांछित अभियुक्तगण का नाम-

1. भूपेन्द्र साहू पुत्र परमेश्वर दयाल उम्र 28 वर्ष
2. जीतेन्द्र साहू पुत्र प्रेमनारायण साहू उम्र 30 वर्ष
3. रामसेवक पुत्र बारेलाल कुशवाहा उम्र 42 वर्ष
4. देवीदीन कुशवाहा पुत्र धनीराम कुशवाहा उम्र 35 वर्ष

समस्त नि0 गण मोहल्ला भैरोगंज कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 10.11.2024

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस लाइन महोबा में आवासित पुलिस परिवार के बच्चों में प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से उनके मध्य विभिन्न इनडोर एवं आउटडोर प्रतियोगिता का किया गया आयोजन-

आज दिनांक- 10.11.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा पुलिस के पुलिस लाइन में प्रतिसार निरीक्षक, श्री शिवकुमार द्वारा पुलिस लाइन में आवासित पुलिस परिवार के बच्चों में विभिन्न प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से उनके मध्य इनडोर एवं आउटडोर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

पुलिस परिवार के बच्चों को प्रतियोगिता के दौरान पेंटिंग करना, क्राफ्ट वर्क व विभिन्न खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया जिसमें बच्चों ने अपने मनपसंद कार्टून चित्र पर रंग भरना प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें नन्हे बच्चों ने मिकी माउस, मोटू -पतलू, टॉम एंड जेरी और डोरेमोन आदि मनपसंद कार्टूनों पर रंग भर कर मोहित कर दिया। हिंदी सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों ने अपनी सुंदर लिखाई का प्रदर्शन बढ़-चढ़कर किया। प्रतिसार निरीक्षक ने बच्चों की प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए कहा कि बच्चों को इस तरह की गतिविधियों में भाग लेना चाहिए और अपनी प्रतिभा को उजागर करना चाहिए। उनका कहना है कि इस तरह की गतिविधियों बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। खेलों का जीवन में बड़ा महत्व है। खेल गतिविधियों के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रतियोगिता में सभी बच्चों द्वारा हर्षोल्लास के साथ भाग लिया गया।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 10.11.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना खरेला की पुलिस टीम ने मुकदमे से सम्बन्धित 03 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलास वंशल के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक- 09/10.11.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौंड़ के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष खरेला सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा गठित की गई पुलिस टीम उ0नि0 कलीम उस्मानी व मय हमराह कर्मचारी की मदद से थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 135/2024 धारा 137(2)/74 बीएनएस व 9/10 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 03 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1. संजय पुत्र प्रताप राजपूत उम्र निवासी ग्राम बड़ोवा थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर 2.राकेश कुमार पुत्र मुकुन्दीलाल उम्र 31 वर्ष 3.संदीप राजपूत पुत्र अवधविहारी निवासी गण ग्राम लाड़पुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को थानाक्षेत्र के परथनिया बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे पुल से गुन्देला जाने वाले रोड़ पर वहद ग्राम परथनिया से नियमानुसार गिरफ्तार कर सम्बन्धित न्यायालय समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. संजय पुत्र प्रताप राजपूत उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम बड़ोवा थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर
2. राकेश कुमार पुत्र मुकुन्दीलाल उम्र 31 वर्ष
3.संदीप राजपूत पुत्र अवधविहारी निवासी गण ग्राम लाड़पुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरणः-

1. उ0नि0 कलीम उस्मानी
2. कां0 अमित कुमार

@MahobaPolice